निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कंचनारिया कला
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :– 63/2017 दावा
दायरा दिनांक :– 27.04.2017
निर्णय दिनांक :– 05.06.2017

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र पूनमचन्द
2. रामकुवंर पुत्र पूनमचन्द जाति मीना निवासी बंजारी तहसील बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 05.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 481 रकवा 0.10 बीघा, ख0नं0 602 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 603 रकबा 02.07 बीघा, कुल किता 3 रकबा 03.11बीघा मौजा बंजारी में स्थित हैं जो मुताविक जमाबन्दी संवत 2066 ता 69 से इन्तकाल नम्बर 833 से खसरा नम्बर 602 रकबा 14 बिस्वा ख0नं0 603 रकबा 2.07 बीघा वादी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध मे पडौसी काश्तकारो से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 20.05.2012 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 20.05.2012 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बंजारी संवत 2066–69 खाता संख्या 215 पेश की गई। नक्शा टेस पेश किया गया। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कचनारिया कला पर उपस्थित हुए। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

4. यह कि वादीगण ने उक्त विवादित आराजीयात की सीमाज्ञान करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब छीपाबडौद से निवेदन किया तो उन्होने पटवारी पटवार

निरन्तर-----2पर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी पैरोकार सरकार का कथन है कि वादी आपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम जमाबन्दी ग्राम बंजारी संवत 2066–69 खाता सख्या 215 के ख0नं0 602 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 603 रकबा 02.07 बीघा, कुल किता 2 रकबा 03.01 बीघा ओमप्रकाश पुत्र पूनमचन्द रामकुंवर पुत्र पूनमचन्द जाति मीना निवासी बंजारी तहसील बारां के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। वादी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कचनारिया कला पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बंजारी के ख0नं0 602 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 603 रकबा 02.07 बीघा, कुल किता 2 रकबा 03.01 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 63 / 2017	धारा अन्तर्गत 88, RTA	निर्णय दिनांक 05.06.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:- श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:-	

वाद शीर्षक

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र पूनमचन्द
2. रामकुंवर पुत्र पूनमचन्द जाति मीना निवासी बंजारी तहसील बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कचनारिया कल्ला प
स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बंजारी के ख0नं0 602 रकबा 0.14 बीघा, ख0नं0 60
रकबा 02.07 बीघा, कुल किता 2 रकबा 03.01 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदे
तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 05.06.2017 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner